


विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 6443 के प्रश्नांश 'ख' का परिशिष्ट 'अ'

पृष्ठ 1 से 1

प्रश्नकर्ता :- मा०श्री जुगुल किशोर बागरी।

उत्तर दिनांक 26.3.2021

क्रमांक	जिला	कार्यरत पीजी चिकित्सक	पीजी अध्ययनरत् चिकित्सक	चिकित्सक की संख्या जिन्हें शासन आदेश दिनांक 23.4.2015 अनुसार अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान की गई	चिकित्सक की संख्या जिन्हें शासन आदेश दिनांक 23.4.2015 अनुसार अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान नहीं की गई	रिमार्क
1	रीवा	31	07	02	निरंक	शासन आदेशानुसार पात्र चिकित्सकों की अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान की गई।
2	सीधी	5	—	—	निरंक	वर्ष 2014 के पश्चात स्नातकोत्तर योग्यताधारी चिकित्सक लोक सेवा आयोग से चयनित होकर नियुक्त नहीं हुए हैं।
3	सतना	26	—	02	निरंक	शासन आदेशानुसार पात्र चिकित्सकों की अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान की गई।
04	उमरिया	9	07	03	निरंक	
05	सिंगरोली	8	—	02	निरंक	
06	अनूपपुर	9	—	—	निरंक	पात्र चिकित्सक उपलब्ध नहीं होने के कारण, अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान नहीं की गई।
07	शहडोल	17	04	03	निरंक	अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान की गई।

  
 डॉ. बी. डी. खरे  
 उप संचालक (विशेष)  
 संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
 मध्यप्रदेश